समक्ष :- न्यायालय श्रीमान म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर

निग - 3164-I-16

(१) देवेन्द्र सिंह तनय हनुमत सिंह ठाकुर

(२) भानुप्रताप सिंह तनय हनुमत सिंह ठाकुर

निवासी- पहुवा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

--- अपीलार्थीगण

आवेदकगण

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह-एड० द्वारा आज दि. 16/9/16 को प्रस्तुत

।। बनाम ।।

(१) जयकुंवर पत्नि चाँद सिंह ठाकुर (चांदसिंह ठाकुर)

निवासी- रैनगढ़ तहसील मागरोल जिला बारा (राजस्थान)

(२) लच्छीबाई पत्नि मोहन सिंह

निवासी- रैनगढ़ तहसील मागरोल जिला बारा (राजस्थान)

-- उत्तरवादिया

अनावेदकगण

रा०पुनरी०क्र०   प्रस्तुत दिनांक

धारा ५० पुनरीक्षण अंतर्गत म०प्र०भू० रा०सं० १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-३

(१):- यह कि आवेदकगण ने न्यायालय श्रीमान उपखंड अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ म०प्र० के रा०प्र०क्र० ११६।अपील। २०११-२०१२ नाम पक्षकार देवेन्द्र सिंह तनय हनुमत सिंह ठाकुर विरूद्ध जयकुंवर पत्नि चांद सिंह ठाकुर +१ अन्य में पारित आदेश दिनांक १२ अगस्त २०१६ के आदेश से अधिनस्थ न्यायालय का आदेश २९-३-०१२ यथावत रखा जाकर आवेदकगण की अपील अस्वीकार किये जाने के आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है ।

प्रकरण के तथ्य

(१):- यह कि अपीलार्थीगण । आवेदकगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़ के रा०प्र०क्र०- १७।अ-६-अ।२०१०-११ में पारित आदेश दिनांक २९-३-०१२ से परिवेदित होकर मूल नामांतरण पंजी के विरूद्ध प्रस्तुत किया था ।

(२):- यह कि न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, पलेरा ने विवादग्रस्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3164-एक/2016 जिला टीकमगढ़ देवेन्द्र विरूद्ध जयकुवंर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह उपखण्ड अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रमांक 119/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12-08-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 25/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	